

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 1) 8-3

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

म-नीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण/जमुई/शिवहर/दरभंगा एवं रामरतीपुर।

पटना, दिनांक- 27/2/26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रूपये ₹ 1,00,000/-मात्र एवं रूपये ₹ 2,00,000/- मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	पश्चिम चम्पारण	01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, दौतिया के झापांक-161, दिनांक-05.02.2026 के आलोक में। (1) मृतक स्व० राजेन्द्र चौधरी, आश्रित-नीता देवी (पत्नी), ग्राम-झांआ टोला, वार्ड संख्या 02, पोस्ट-सुरेंद्रपुर, थाना-श्रिनगर, प्रखंड-बैरिया जिला-पश्चिम चम्पारण।
2	जमुई	01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 191, दिनांक-21.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक स्व० सुरेंद्र वर्मा, आश्रित-जलिया देवी (पत्नी), ग्राम-शेर, थाना-प्रखंड-आझा, जिला-जमुई।
		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-467, दिनांक-10.06.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० ऋषिकान्त मंडल, आश्रित- फूलवती देवी (पत्नी), ग्राम-पोस्ट-थाना- प्रखंड-आझा, जिला-जमुई।

3	शिवहर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, शिवहर के ज्ञापक-03, दिनांक-05.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० पिंटू साह, पिता-इंदल साह, आश्रित-रुबी देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-मथुरापुर, प्रखंड-शिवहर, जिला-शिवहर।
4	दरभंगा	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापक-3610, दिनांक-30.12.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० नंदन कुमार झा, आश्रित-उर्मिला देवी (माता), ग्राम-पंचायत-जरिसा, थाना-बहेड़ा, प्रखंड-देनापुर, जिला-दरभंगा।

3. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रू० 1,00,000/-मात्र एवं रू० 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रू)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	जमुई	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-466, दिनांक-10.06.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० डगन दास, आश्रित-तारा देवी (पत्नी), ग्राम-बैललपुर, पोस्ट+थाना+प्रखंड- झाझा, जिला-जमुई।
2	समस्तीपुर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापक-339, दिनांक-06.02.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० मुकेश राम, पिता-शेनी राम, आश्रित मनीषा कुमारी (पत्नी), ग्राम-रामभद्रपुर, पोस्ट+पंचायत-रजौर रामभद्रपुर, थाना+प्रखंड शिवाजीनगर, जिला-समस्तीपुर।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2254, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/- (दो लाख) मात्र एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से, उनके वैध आश्रित को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जांच पडताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल / स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कृपा की जाय।
- यह आवंटन गित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो यह अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय का सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं० तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अचिलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- विभागीय अधिसूचना सं. 1/आई.एम.एल.-06/2016 अ.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

10. अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जॉब कर, उन्हीं मृतक क आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभार्थित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य याजना से संबंधित है।
12. श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०
(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त।

ज्ञापक: 6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 1183 पटना, दिनांक- 27/2/26

प्रतिनिधि - सचिव के आधा सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त सह वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन
Signed by Manish Kumar
Date: 27-02-2026 18:37:07
(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त।